

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठारिीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 35/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/117

अनवान

1. रामघणी पत्नि नानुराम प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. लादु पुत्र नाथु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. तेजीदेवी पत्नी भुरालाल कुम्हार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढी करने बाबत)


उपस्थित

1. अमरसिंह चारण - प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक-05 08 2025

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 458 में अंकित आराजी संख्या 2218/2017 रकबा 0.43 है 0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी गय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी घराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपने आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कोई गर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.01.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।
2. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एव विपक्षी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार है जिसके जवाब की आवश्यकता नही है।


अधिकारी
(रायपुर, भीलवाड़ा)

3. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एक कहरा सुनी और कहरा पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दरतावेजात का मधीस्तापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिरारो स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 458 में अंकित आराजी संख्या 2218/2017 रकबा 0.43 है० भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 458 में अंकित आराजी संख्या 2218/2017 रकबा 0.43 है० भूमि स्थित हैं। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशमलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जिला, छत्तीसगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जिला, छत्तीसगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पी.सी.डी. अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन नम्बर :- 35/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/117

अनवान

1. रामघणी पत्नि नानुराम प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. लादु पुत्र नाथु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. तेजीदेवी पत्नी भुरालाल कुम्हार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत


उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.08.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पंचायत हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी को कृषि आराजियात खाता संख्या 458 में अंकित आराजी संख्या 2218/2017 रकबा 0.43 है0 भूमि स्थित हैं।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी को पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का बयान पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।




(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(राज.अ.सं.सं.)